संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

23 JAN 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: अर्थ एवं सांख्य विभाग के कार्मिक श्री अदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक से संबन्धित रिट याचिका संख्या 6719 (S/S)/205 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 12-12-2007 का पारित आदेश, जो रिट याचिका संख्या 58/2006 - शेर सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य से लिंक किया गया है - का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह केहने का निदेश हुआ है की माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने अपने दिनांक 12-12-2007 के आदेश में निम्नलिखित आदेश पारित किया था :-

"Keeping in view the circular dated 12-11-2007, the instant appeal is disposed of directing the Committee concerned to decided the appellant's representation in accordance with law by passing a speaking and reasoned order expeditiously and preferably within a period of 3 weeks from the date of receipt of a certified copy of this order and communicate the decision to the appellant within next one month and during this period the appellant shall be allowed to discharge his duties in the State of U.P. on the posts on which he has been promoted and will be paid his salary."

2. अतः श्री अदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक के प्रत्यावेदन पर दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बेठक में परामर्शी समिति द्वारा विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्री अदित्य प्रकाश ने अपने प्रत्यावेदन में यह उलेख किया है कि उनकी नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में दिनांक 20-10-2000 को जनपद खीरी में हुई थी, जहा पर इनकी जगह ज़मीन है । याची के आश्रितों में माताजी एवं छोटा भाई है जिसके भरण पौषण कि ज़िम्मेदारी उनकी है । माताजी प्राय बीमार रहती है । उत्तराखंड राज्य में रहकर वह

-2-

परिवार कि देखभाल करने में असमर्थ है । अतः उन्हे उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया जाए । श्री अदित्य प्रकाश के प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु राज्य पुनर्गठन संबन्धित दिशानिदेशों से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने की संस्तुति की गई ।

3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री अदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।

Receipt & Issued Section
23 JAN 2012
जारी किया/ISSUED